उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2025
(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या–.....वर्ष, 2025)

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2016) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 2 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में खण्ड (51) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्–

(52) "समर्पित आयोग" से राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के पदों/स्थानों को अवधारित किये जाने हेतु गठित समर्पित आयोग अभिप्रेत है।"

धारा 8 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (द) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(द) उसकी दो से अधिक जीवित जैविक संतान है, जिनमें एक का जन्म दिनांक 25 जुलाई, 2019 को अथवा उसके पश्चात् हुआ है:

परन्तु पहली संतान के बाद दुबारा गर्भधारण करने पर एक साथ दो या उससे अधिक सन्तान पैदा होने पर अनर्हता संबंधी उक्त उपबंध लागू नहीं होगा।"

धारा 10–क का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 10–क को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"(1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, प्रधानों के पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करेगी। राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या का अनुपात प्रधानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो राज्य की अनुसूचित जातियों की या राज्य की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या में है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या का अनुपात वही होगा, जो समर्पित आयोग द्वारा समसामयिक गहन अनुभवजन्य जांच के आधार पर की गई अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार निर्धारित करे:

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों का कुल आरक्षण प्रधानों के पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण प्रधानों के पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत होने पर पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा:

परन्तु यह भी कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हों तो नियत रीति से सर्वेक्षण कर उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित प्रधानों के पदों की कुल संख्या के आधे से अन्यून पद यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

(3) प्रधानों के पदों की कुल संख्या के आधे से अन्यून पद, जिसमें उपधारा (2) के अधीन आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या सम्मिलित है, महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

(4) इस धारा के अधीन आरक्षित प्रधानों के पद भिन्न–भिन्न ग्राम पंचायतों में चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में, जैसा नियत हो, आवंटित किये जायेंगे।

(5) इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रधानों के पदों का आरक्षण "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा में उपबंधित कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और महिलाओं को अनारक्षित स्थानों से निर्वाचन लड़ने से निवारित नहीं करेगी।"

धारा 11 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 11 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, ग्राम पंचायत से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात वही होगा, जो समर्पित आयोग द्वारा समसामयिक गहन अनुभवजन्य जांच के आधार पर की गई अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार निर्धारित करे और ऐसे स्थान किसी ग्राम पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में आवंटित किये जा सकेंगे, जैसा नियत किया जाए:

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों का कुल आरक्षण ग्राम पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक

नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण ग्राम पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के 50 प्रतिशत होने पर पिछड़े वर्गों के लिये कोई आरक्षण नहीं होगाः

परन्तु यह भी कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हों तो, नियत रीति से सर्वेक्षण कर उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी ग्राम पंचायत में कुल आरक्षित स्थानों में से आधे से अन्यून स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

(3) उपधारा (2) के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए, किसी ग्राम पचांयत में कुल स्थानों की संख्या के आधे से अन्यून स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और ऐसे स्थान किसी ग्राम पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में आवंटित किये जा सकेंगे, जैसा नियत किया जाए।

(4) इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा में उपबंधित कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और महिलाओं को अनारक्षित स्थानों से निर्वाचन लड़ने से निवारित नहीं करेगी।"

धारा 16 का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 16 को पार्श्व शीर्षक सहित निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"ग्राम पंचायत की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

यदि ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान या किसी सदस्य का पद उसकी मृत्यु हो जाने, उसे हटाये जाने, उसके पद त्याग करने, उसके निर्वाचन के शून्य घोषित होने या उसके पद की शपथ लेने से इंकार करने या किसी कारण से रिक्त हो जाए तो यथासंभव उसे ऐसी रिक्ति के दिनांक से छः माह की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके शेष कार्यकाल के लिए, ऐसी रीति से भरा जायेगा जैसा विहित किया जाएः

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन ऐसी रिक्ति होने की दिनांक को ग्राम पंचायत की शेष अवधि छःमाह से कम हो, तो ऐसी रिक्ति भरी नहीं जायेगी।"

धारा 53 का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (1) के खण्ड (द) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(द) उसकी दो से अधिक जीवित जैविक संतान है, जिनमें एक का जन्म दिनांक 25 जुलाई, 2019 को अथवा उसके पश्चात् हुआ है:

परन्तु पहली संतान के बाद दुबारा गर्भधारण करने पर एक साथ दो या उससे अधिक संतान पैदा होने पर अनर्हता संबंधी उक्त उपबंध लागू नहीं होगा।"

धारा 55–क का संशोधन

8. मूल अधिनियम की धारा 55–क को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"(1) राज्य में क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होंगे:

परन्तु यह कि प्रमुखों के आरक्षित पदों की संख्या का अनुपात ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो राज्य की अनुसूचित जातियों की या राज्य की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या में है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित प्रमुखों के पदों की संख्या का अनुपात वही होगा, जो समर्पित आयोग द्वारा समसामयिक गहन अनुभवजन्य जांच के आधार पर की गई अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार निर्धारित करे और ऐसे आरक्षित पद भिन्न–भिन्न क्षेत्र पंचायतों को चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में आवंटित किये जायेंगे, जैसा नियत किया जाए:

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों का कुल आरक्षण प्रमुखों के पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण प्रमुखों के पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत होने पर पिछड़े वर्गों के लिये कोई आरक्षण नहीं होगा:

परन्तु यह भी कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो तो, नियत रीति से सर्वेक्षण कर उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या के आधे से अन्यून पद यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

(3) उपधारा (2) के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए, प्रमुखों के पदों की कुल संख्या के आधे से अन्यून पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और ऐसे पदों को चक्रानुक्रम से राज्य में भिन्न–भिन्न क्षेत्र पंचायतों के लिए ऐसे क्रम में जैसा नियत किया जाए, आवंटित किये जायेंगे।

(4) इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रमुखों के पद पर आरक्षण "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा में उपबंधित कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और महिलाओं को अनारक्षित स्थानों से निर्वाचन लड़ने से निवारित नहीं करेगी।"

धारा 56 का संशोधन

9. मूल अधिनियम की धारा 56 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"(1)प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, क्षेत्र पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात वही होगा, जो समर्पित आयोग द्वारा समसामयिक गहन अनुभवजन्य जांच के आधार पर की गई अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार निर्धारित करे और ऐसे स्थान किसी क्षेत्र पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में आवंटित किये जा सकेंगे, जैसा नियत किया जाए:

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों का कुल आरक्षण क्षेत्र पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण क्षेत्र पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के 50 प्रतिशत होने पर पिछड़े वर्गों के लिये कोई आरक्षण नहीं होगा:

परन्तु यह भी कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो तो, नियत रीति से सर्वेक्षण कर उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित स्थानों के आधे से अन्यून स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

(3) उपधारा (2) के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए, किसी क्षेत्र पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के आधे से अन्यून स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और ऐसे स्थान किसी क्षेत्र पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में आवंटित किये जा सकेंगे, जैसा नियत किया जाए।

(4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा में कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और महिलाओं को अनारक्षित स्थानों से निर्वाचन लड़ने से निवारित नहीं करेगी।"

धारा 61 का संशोधन

10. मूल अधिनियम की धारा 61 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

" यदि किसी प्रमुख या उप प्रमुख या किसी सदस्य का पद उसकी मृत्यु हो जाने, उसे हटाये जाने, उसके पद त्याग करने, उसके निर्वाचन के शून्य घोषित होने या उसके पद की शपथ लेने से इंकार करने या किसी कारण से रिक्त हो जाए तो यथासंभव उसे ऐसी रिक्ति के दिनांक से छः माह की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके शेष कार्यकाल के लिए, ऐसी रीति से भरा जायेगा जैसा विहित किया जाए:

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन ऐसी रिक्ति होने की दिनांक को क्षेत्र पंचायत की शेष अवधि छःमाह से कम हो, तो ऐसी रिक्ति भरी नहीं जायेगी।"

धारा 90 का संशोधन

11. मूल अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (1) के खण्ड (द) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(द) उसकी दो से अधिक जीवित जैविक संतान है, जिनमें एक का जन्म दिनांक 25 जुलाई, 2019 को अथवा उसके पश्चात् हुआ है:

परन्तु पहली संतान के बाद दुबारा गर्भधारण करने पर एक साथ दो या उससे अधिक सन्तान पैदा होने पर अनर्हता संबंधी उक्त उपबंध लागू नहीं होगा।"

धारा 92–क का संशोधन

12. मूल अधिनियम की धारा 92–क को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"(1) राज्य में जिला पंचायतों के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित किये जायेंगे:

परन्तु यह कि अध्यक्षों के आरक्षित पदों की संख्या का अनुपात ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो राज्य में अनुसूचित जातियों की या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या में है। पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित अध्यक्ष के पदों की संख्या का अनुपात वही होगा, जो समर्पित आयोग द्वारा समसामयिक गहन अनुभवजन्य जांच के आधार पर की गई अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार निर्धारित करे और ऐसे आरक्षित पद भिन्न–भिन्न जिला पंचायतों को चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में आवंटित किये जायेंगे, जैसा नियत किया जाए:

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो का कुल आरक्षण राज्य में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण राज्य में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत होने पर पिछड़े वर्गो के लिये कोई आरक्षण नहीं होगा:

परन्तु यह भी कि यदि पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो तो, नियत रीति से सर्वेक्षण कर उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या के आधे से अन्यून पद

यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(3) उपधारा (2) के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षित पदों को सम्मिलित करते हुए, अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के आधे से अन्यून पद, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे पदों को चक्रानुक्रम से राज्य में भिन्न–भिन्न जिला पंचायतों के लिए ऐसे क्रम में जैसा नियत किया जाए, आवंटित किये जायेंगे।

(4) इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अध्यक्षों के पद का आरक्षण "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा में उपबंधित कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और महिलाओं को अनारक्षित स्थानों से निर्वाचन लड़ने से निवारित नहीं करेगी।"

धारा 93 का संशोधन

13. मूल अधिनियम की धारा 93 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"(1)प्रत्येक जिला पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात जिला पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात वही होगा, जो समर्पित आयोग द्वारा समसामयिक गहन अनुभवजन्य जांच के आधार पर की गई अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार निर्धारित करे और ऐसे स्थान किसी जिला पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में आवंटित किये जा सकेंगे, जैसा नियत किया जाए:

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों का कुल आरक्षण जिला पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण जिला पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के 50 प्रतिशत होने पर पिछड़े वर्गों के लिये कोई आरक्षण नहीं होगा:

परन्तु यह भी कि यदि पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हों तो, नियत रीति से सर्वेक्षण कर उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकेंगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित स्थानों के आधे से अन्यून स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(3) उपधारा (2) के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए, किसी जिला पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के लिए आधे से अन्यून स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और ऐसे स्थान किसी जिला पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में आवंटित किये जा सकेंगे, जैसा नियत किया जाए।

(4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा में उपबंधित कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों और महिलाओं को अनारक्षित स्थानों से निर्वाचन लड़ने से निवारित नहीं करेगी।"

धारा 98 का संशोधन

14. मूल अधिनियम की धारा 98 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

" यदि किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी सदस्य का पद उसकी मृत्यु हो जाने, उसे हटाये जाने, उसके पद त्याग करने, उसके निर्वाचन के शून्य घोषित होने या उसके पद की शपथ लेने से इंकार करने या किसी कारण से रिक्त हो जाए तो यथासंभव उसे ऐसी रिक्ति के दिनांक से छः माह की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके शेष कार्यकाल के लिए, ऐसी रीति से भरा जायेगा जैसा विहित किया जाए:

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन ऐसी रिक्ति होने की दिनांक को जिला पंचायत की शेष अवधि छःमाह से कम हो, तो ऐसी रिक्ति भरी नहीं जायेगी।"

धारा 131–झ का संशोधन

15. मूल अधिनियम की धारा 131–झ की उपधारा (3) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(3) इस अधिनियम के अधीन कराये जाने वाले निर्वाचनों के सम्बन्ध में जहां कहीं इस अधिनियम एवं नियमावली में निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है, वहां राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उपबन्धों को यथा आवश्यकतानुसार प्रयुक्त किया जा सकेगा।"

निरसन और व्यावृत्ति

16. (1) उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या–02, वर्ष 2025) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गयी समझी जाएगी।

उद्देश्य और कारणों का कथन

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट पिटीशन संख्या–356/1994 के0 कृष्ण मूर्ति बनाम भारत संघ एवं अन्य, रिट पिटीशन संख्या 990/2019, विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य तथा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 278/2022, सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित निर्णयों के क्रम में उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2016), के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण का उपबंध करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 2, 10–क, 11, 55–क, 56, 92–क तथा धारा 93 तथा उक्त के अतिरिक्त, धारा 8, 16, 53, 61, 90, 98 एवं 131–झ में संशोधन करने हेतु उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या–02 वर्ष 2025) प्रख्यापित किया गया था।

2– प्रस्तावित विधेयक उक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक है तथा उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

सतपाल महाराज
मंत्री।

विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजित ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक "उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016"का संशोधन मात्र है।

2– प्रस्तावित विधेयक में विधायी शक्तियों का सामान्य प्रत्यायोजन मात्र निहित है।

सतपाल महाराज
मंत्री।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक "उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016" का संशोधन मात्र है।

2– प्रस्तावित विधेयक में राज्य की संचित निधि से किसी प्रकार का आवर्ती एवं अनावर्ती प्रकृति का कोई व्यय अंतर्निहित नहीं हैं।

सतपाल महाराज
मंत्री।

खण्डवार ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक "उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016" का संशोधन मात्र है।

1. विधेयक के खण्ड 1 में विधेयक का संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ हेतु उपबंध प्रस्तावित है।
2. विधेयक के खण्ड 2 में अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (51) के पश्चात खण्ड (52) अन्तः स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
3. विधेयक के खण्ड 3 में अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (द) में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
4. विधेयक के खण्ड 4 में अधिनियम की धारा 10–क में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
5. विधेयक के खण्ड 5 में अधिनियम की धारा 11 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
6. विधेयक के खण्ड 6 में अधिनियम की धारा 16 में पार्श्व शीर्षक सहित संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
7. विधेयक के खण्ड 7 में अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (1) के खण्ड (द) में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
8. विधेयक के खण्ड 8 में अधिनियम की धारा 55–क में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
9. विधेयक के खण्ड 9 में अधिनियम की धारा 56 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
10. विधेयक के खण्ड 10 में अधिनियम की धारा 61 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
11. विधेयक के खण्ड 11 में अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (1) के खण्ड (द) में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
12. विधेयक के खण्ड 12 में अधिनियम की धारा 92–क में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
13. विधेयक के खण्ड 13 में अधिनियम की धारा 93 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
14. विधेयक के खण्ड 14 में अधिनियम की धारा 98 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
15. विधेयक के खण्ड 15 में अधिनियम की धारा 131–झ की उपधारा (3) में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
16. विधेयक के खण्ड 16 में निरसन और व्यावृत्ति का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।

सतपाल महाराज
मंत्री।